सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

(सोमवार, दिनांक 22 अगस्त, 2016)

माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधान सभा के एक दिवसीय नवम् सत्र के समापन अवसर पर मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, एवं आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के इतिहास में यह प्रथम अवसर है जब अल्प सूचना पर सत्र आहूत हुआ। जैसा कि आपको विदित है कि बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रक्रिया के निर्धारण के तारतम्य में आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत संकल्प को पारित करने हेतु यह विशेष सत्र आहूत किया गया। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि पक्ष–विपक्ष के आप माननीय सदस्यगणों ने वस्तु एवं सेवा कर के विषय में सम्यक और सारगर्भित चर्चा की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सम्पन्न हुई चर्चा से प्राप्त निष्कर्ष भविष्य में एक राष्ट्र, एक कर प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने में सहायक सिद्ध होगी।

मुझे इस बात की भी हार्दिक प्रसन्नता है कि सदन में जीएसटी के विषय में आप माननीय सदस्यों ने जिस ढ़ंग से अपने विचार रखें, यह आपके विषय पर अध्ययन और संसदीय दायित्वों की पूर्ति के प्रति आपकी वचनबद्धता को परिभाषित करता है। मैं यह कामना करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा का संसदीय सौहार्द्र और संसदीय संस्कृति को संवर्धित करने में आप सतत् रूप से अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने में निरन्तर सफल होते रहे।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी संविधान संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि भविष्य में सक्षम और समृद्ध भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा । राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक नीतियों से हम सुदृढ़ हों अपितु हमारी अर्थनीति से वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान बने और इसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में केन्द्र सरकार का यह दूरदृष्टि प्रयास है।

जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर पर केन्द्रित इस विशेष सत्र के समापन अवसर पर एक विशेष बात यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण कर जब जीएसटी बिल कार्यरूप में अधिनियमित होगा तो इससे कर प्रणाली आसान होगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा तथा उद्योग एवं उद्यमियों को कर अनुपालन में आसान होगा। सामान्य धारणा यह भी है कि उपभोक्ताओं के लिये भी वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिक कुशल वितरण से कीमतों को कम करने की संभावनाएं भी बढ़ जायेगी ।

जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के विषय में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र शासन, अर्थशास्त्री, एवं उद्योग जगत ही नहीं वरन् देश का जनमानस भी संपूर्ण भारत में इस नई कर व्यवस्था को देश के आर्थिक विकास के लिये अनिवार्य अनुभव करने लगा है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मत भिन्नता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा ने लोककल्याण के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए पक्ष–प्रतिपक्ष की भावना से ऊपर उठकर संसदीय मूल्यों को जो सुदृढ़ता प्रदान की है वह संसदीय व्यवस्था में विश्वास रखने वालों के लिये मार्गदर्शी है। आज आपने जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन के संकल्प पर विस्तार से सारगर्भित चर्चा कर सर्वसम्मति से पारित कर इस तथ्य को भी स्थापित किया है कि लोककल्याण और राष्ट्रहित से संबद्ध प्रत्येक विषय पर हम अपने विचारों को व्यक्त करके भी राष्ट्र हित या प्रदेश हित में एकमत है। आपके इस उच्च संसदीय संस्कारों की मैं मुक्त कंठ से सराहना करता हूं।

यह उल्लेखनीय है कि इस एक दिवसीय सत्र में संपन्न बैठक में कुल 6 घंटे 50 मिनट कार्यवाही हुई जिसमें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत संकल्प पर 6 घण्टे 23 मिनट चर्चा हुई।

विशेष सत्र के समापन अवसर पर पत्रकार बंधुओं को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने जीएसटी के विषय में समग्र प्रमाणिक जानकारियों को निरंतर रूप से आमजनों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया । इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्रिगण, सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्यों सहित आप सभी सदस्यों को आपके सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा।

इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उनके समन्वित सहयोग से ही अल्प सूचना पर आहूत इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका।

इस अवसर पर मैं आवाह्न करना चाहता हूं कि आइए! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृंद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।

धन्यवाद !

जय – हिन्द ! जय – भारत ! जय – छत्तीसगढ़ !